सशक्त महिला योजना

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 में महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के दृष्टिगत **"सशक्त महिला योजना"** नाम की एक महत्वकांक्षी योजना का शुभारम्भ किया ।

लक्ष्य:

इस योजना की परिकल्पना ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए की गई है, यह योजना महिलाओं को संगठित करने और उनका सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक ऐसा मंच प्रदान करेगी जहाँ राज्य की प्रत्येक महिलाओं को सभी बिभागों के समन्वय से हर मामले में शिक्षित, कुशल और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास किया जायेगा ।

उक्त योजना के अंतर्गत महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करके और उन्हें अपने अधिकारों व अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के लिए संस्थागत समर्थन की सुविधा प्रदान की जाएगी जिससे ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा ।

पृष्ठभूमि :

महिलाये प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था की रीड की हड्डी हैं , क्योंकि कृषि व घरेलू क्षेत्र में सभी कार्यों के लिए परिवार उन पर ही निर्भर होता है। परिवार और समुदाय के प्रति महिलाओं का सामाजिक-आर्थिक योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अर्थव्यवस्था की सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था में महिलाएँ निस्संदेह अनूठी भूमिका निभाती हैं। वास्तव में, ग्रामीण महिलाओं के अपार योगदान के लिए उनकी समग्र सामाजिक आर्थिक स्थिति, जागरूकता, दृष्टिकोण और धारणा के प्रकाश में एक नई समीक्षा की आवश्यकता है । लेकिन वर्तमान परिदृष्टि में महिलाओं को कृषि एवं घरेलू कर्म के साथ -२ अन्य सभी क्षेत्रों में भी आगे लाये जाने की आवश्यकता है जिससे उनका आर्थिक -

Scanned by CamScanner

सामाजिक विकास सुनिश्चित हो सके तथा ग्रामीण क्षेत्र की सबसे आखिरी लाईन में खड़ी महिला को भी वे सभी अधिकार, सुविधायें व योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा सके, जिससे सम्पूर्ण प्रदेश की नारी शक्ति स्वावलंबी बन सके।

समाज की वर्तमान मूल्य प्रणाली का महिलाओं के लिए एक भूमिका और स्थिति तय करने में एक महत्वपूर्ण योगदान है और इससे ग्रामीण महिलाओं के लिए आर्थिक स्वतंत्रता की गति में तेजी लाने और ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने में मदद मिलेगी। "सशक्त महिला योजना" ग्रामीण उत्पादकता,आत्मनिर्भरता और सशक्तीकरण के उद्देश्य व सभी अंतरालों को पाटने की वकालत करती है, जिससे पंचायत स्तर पर उनकी उत्पादकता में वृद्धि हो सके और स्वयं सहायता समूहों को विपणन सहायता प्रदान करने, आय सृजन गतिविधियाँ करने में सक्षम बनाया जा सके।

<u>लक्ष्य समूह और पात्रता:</u>

11-18 वर्ष के आयु वर्ग में किशोरियाँ।

19-45 वर्ष की आयु की सभी महिलायें।

<u>योजना के मुख्य उद्देश्य हैं:</u>

i) अपने अधिकारों के बारे में ग्रामीण महिलाओं में जागरूकता पैदा करना।

ii) ग्रामीण महिलाओं का समर्थन करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के बारे में महिलाओं को संवेदनशील बनाना और उन्हें स्थायी आजीविका के अवसरों से जोड़ना जो उनके भविष्य के निर्माण में मदद कर सकें।

iii) 19-45 वर्ष की आयु की महिलाओं को संगठित करने के लिए, प्रशिक्षण प्रदान करके उनके कौशल में सुधार करना।

iv) सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के लिए एक इंटरफेस प्रदान करना।

v) उच्च शिक्षा के लिए पढ़ाई में उत्कृष्ट लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए।

vi) लाइन विभागों के साथ अभिसरण में पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना।

vii) आय सृजन गतिविधियों को लेने के लिए माइक्रो क्रेडिट एंड फाइनेंस के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को अधिक से अधिक वितीय सहायता प्रदान करना।

Scanned by CamScanner

viii) मासिक धर्म स्वच्छता पर महिलाओं और किशोरियों को अपने आत्मसम्मान के निर्माण के लिए जागरूक करना ।

ix) किशोर लड़कों / लड़कियों को एक दूसरे और अन्य लिंग के लिए आपसी सम्मान के लिए संवेदनशील बनाना ।

x) बेहतर सह-अस्तित्व के लिए व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए ।

योजना का घटक:

1. **सशक्त महिला केंद्र का गठन:**

राज्य की प्रत्येक पंचायत में सशक्त महिला केंद्र स्थापित किया जाएगा। सशक्त महिला केंद्र 19 से 45 वर्ष की आयु की उन महिलाओं द्वारा शासित किया जाएगा जिनके पास सामाजिक कार्य में ज्ञान / विशेषज्ञता है या उनके स्थानीय क्षेत्र / गांव में महिलाओं से संबंधित मुद्दों की जानकारी है। आईसीडीएस सर्कल पर्यवेक्षक अपने सर्कल क्षेत्र में स्थित पंचायतों के लिए सुविधा के रूप में काम करेंगे।

• महिलाओं और लड़कियों के बीच जागरूकता और उनके अधिकारों और महिलाओं से संबंधित कानूनों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सशक्त महिला केंद्र की स्थापना की जाएगी।

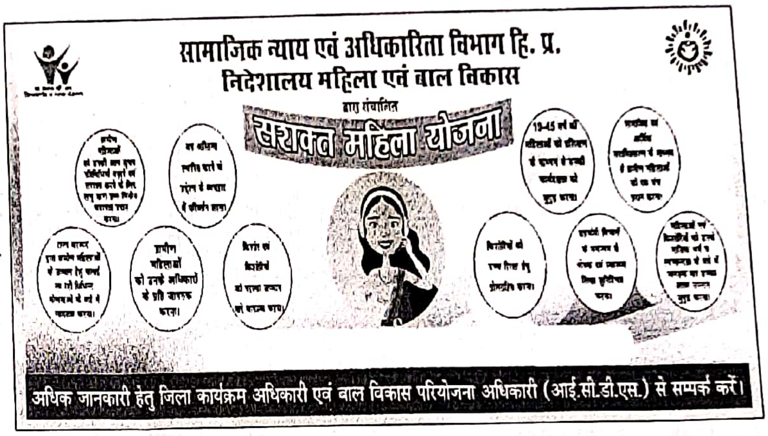

• महिलाओं को महिला विकास के लिए राज्य और केंद्र सरकार द्वारा लागू की जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में शिक्षित किया जाएगा।

• पंचायत स्तर पर विभिन्न विभागों के साथ अभिसरण में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाएगा और उन्हें सशक्तिकरण के लिए अन्य विभागों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में जागरूक किया जाएगा।

Scanned by CamScanner

महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता :

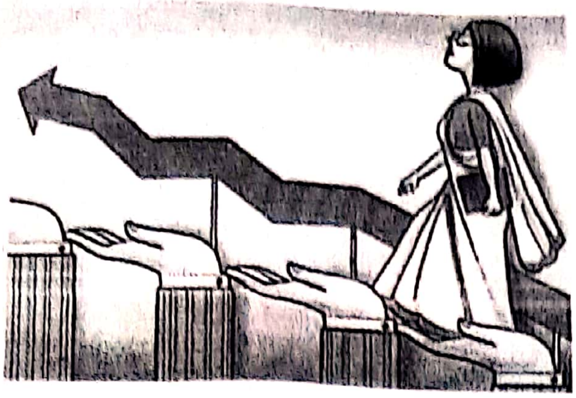

• प्रशिक्षण के माध्यम से विभिन्न मुद्दों पर महिलाओं के अधिकारों के बारे में क्षमता निर्माण और संवेदीकरण की आवश्यकता है।

• आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों द्वारा पर्यवेक्षक सहायता द्वारा पंचायत स्तर पर विषयगत शिविरों का आयोजन।

• इन शिविरों के विषयों के तहत पर्यवेक्षक की निगरानी स्थानीय महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली उनकी जरूरतों या समस्याओं के अनुसार सीडीपीओ / डीपीओ द्वारा तय की जाएगी ।

• इन शिविरों में महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा (NHE), परिवार कल्याण पर मार्गदर्शन पर परामर्श,अर्श , चाइल्ड केयर प्रैक्टिस और गृह प्रबंधन आदि के बारे में भी जागरूक किया जाएगा।

• घरेलू हिंसा अधिनियम, अनैतिक यातायात अधिनियम, बाल विवाह (निषेध) अधिनियम, बाल श्रम अधिनियम, आरटीआई अधिनियम, शिक्षा का अधिकार आदि जैसे कानूनी अधिकारों और कानूनों के बारे में जागरूकता।

3. कौशल विकास और सूक्ष्म उद्यम विकास :

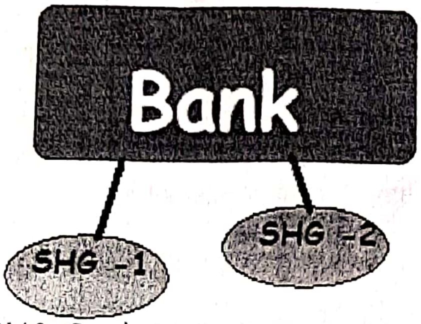

SHG-Bank Linkage Program

• बैंक खातों / बैंक लिंकेज वाले सभी स्वयं सहायता समूह (SHGs) / महिला मंडल को आय बढ़ाने के लिए सॉफ्ट टॉय, अचार बनाने, जूट बैग, अपशिष्ट पदार्थों के पुनर्चक्रण, बुनाई और कढ़ाई उत्पादों इत्यादि के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा ग्राम स्तर पर सूक्ष्म उद्यम स्थापना में आर्थिक मदद की जाएगी ।

• SHGs सदस्यों के प्रशिक्षण / क्षमता निर्माण को सुनिश्चित किया जाएगा ।

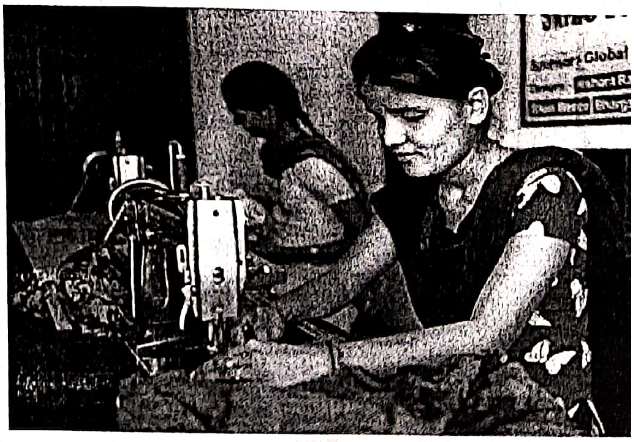

Scanned by CamScanner

- कौशल विकास निगम, आईटीआई, नाबार्ड और कौशल विकास के क्षेत्र में काम करने वाले अन्य संस्थानों के साथ समन्वय।
- पर्यटन विभाग, मंदिर ट्रस्टों और ग्रामीण विकास विभाग और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की मदद से एसएचजी उत्पादों के अंकन के लिए जिला स्तरीय महिला समिति द्वारा संभावनाओं का पता लगाया जाएगा।

4. मासिक धर्म स्वच्छता पर संवेदीकरण:

- किशोर लड़कियों और महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिक्षा के साथ संयुक्त मासिक धर्म स्वच्छता पर प्रोत्साहन।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के साथ अभिसरण में सेनेटरी नैपकिन की समय पर आपूर्ति प्रदान करना।
- अन्य बिभागों के अभिसरण के माध्यम से स्कूलों में और समुदाय में स्वच्छ पानी और शौचालय तक पहुंच जैसे अन्य स्वच्छता उपायों को सक्षम करना।

5. गतिविधियाँ:

सशक्त महिला केन्द्रों , स्वयं सहायता समूहों को जुटाकर, महिला समूहों के संगठन में सहभागी दृष्टिकोण को प्रदर्शित करने और दोहराने के लिए, वितीय और सामाजिक विकास सेवाओं के पैकेज के प्रावधान के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन और विकास के साधन के रूप में ऋण के प्रचार के लिए गतिविधियों का संचालन करेगी। आत्मनिर्भरता के लिए ऋण संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए, अनुभव और सूचना के आकार और आदान-प्रदान के लिए महिला संगठनों के महासंघ और शुद्ध कामकाज को बढ़ावा देने के लिए और महिलाओं के बीच उद्यमिता कौशल के विस्तार को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए प्रतिक्रिया प्रबंधन और सामाजिक गतिशीलता में कौशल विकसित करना ।

Scanned by CamScanner

इस योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों को शुरू करने का प्रस्ताव है:

• आय सृजन गतिविधियों को लेने के लिए प्रत्येक ICDS ब्लॉक में एक स्वयं सहायता समूह को 50,000 रुपये का एक बार बीज धन प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक ICDS ब्लॉकों से संभावित SHG के नामों की अनुशंसा जिला स्तरीय महिला समिति द्वारा की जाएगी जो प्रत्येक जिले में उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित की जाएगी।

• ग्रामीण महिलाओं के लिए जागरूकता सृजन शिविरों का आयोजन प्रत्येक पंचायत में उनके आधार पर उनके संबंधित क्षेत्रों में उनकी आवश्यकताओं / समस्याओं के अनुसार त्रैमासिक आधार पर किया जाएगा। महिलाओं पर कानूनी अधिकारों की जानकारी प्रदान करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के समन्वय में महिलाओं के लिए पंचायत स्तर पर कानूनी साक्षरता शिविर आयोजित किए जाएंगे।

• प्रत्येक जिले में ग्रामीण क्षेत्रों की तीन लड़कियों को सरकारी संस्थानों जैसे एमबीबीएस, बी.टेक में पेशेवर पाठ्यक्रम शुद्ध करना। एमबीए, एमसीए, बीएएमएस आदि के लिए एक बार अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। कोर्स पूरा होने तक हर साल 5000 रु०। किसी भी विफलता के मामले में, यह सहायता नहीं दी जाएगी। संबंधित जिला समिति द्वारा लड़कियों के नाम की सिफारिश की जाएगी और मैट्रिक्स को विभिन्न मापदंडों के आधार पर निदेशालय द्वारा तैयार किया जाएगा, जो अलग-अलग जिलों को दी जाएगी। समिति द्वारा वरीयता कम आयु वर्ग के अनाथ / एकल माता-पिता के बच्चों को दी जाएगी।

• शिक्षक लगातार **6 वीं** से **12 वीं** कक्षा के लड़कों का लड़कियों और महिलाओं के प्रति के व्यवहार निरीक्षण करेंगे। प्रत्येक कक्षा के लड़के जिनका महिलाओं / लड़कियों के प्रति व्यवहार और रवैया अच्छा पाया जाता है, उन्हें प्रत्येक स्कूल द्वारा पुरस्कृत किया जायेगा व मूल्यांकन संकेतक अलग से जिलों को बताए जाएंगे।

• महिलाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं जैसे वाद-विवाद प्रतियोगिता, चित्रकला, नारा लेखन, रंगोली, घोषणा, निबंध लेखन और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन हर स्कूल में सालाना किया जाएगा और प्रतिभागियों को सम्मानित / मान्यता दी जाएगी।

Scanned by CamScanner

• महिला पुलिस अधिकारी पंचायत स्तर के जागरूकता शिविरों में भी शामिल होंगी और लड़कियों और महिलाओं को POCSO अधिनियम, यौन उत्पीड़न, एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया, घरेलू हिंसा, कानूनी अधिकार आदि के बारे में शिक्षित करेंगी।

• जिला / ब्लॉक मुख्यालय पर तैनात महिला अधिकारी हर महीने 2-3 स्कूलों में जाएँगी और लड़कियों से बातचीत करेंगी और उन्हें अपनी उच्च शिक्षा जारी रखने, खेल गतिविधियों, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों / वाहक परामर्श, स्व रक्षा पाठ्यक्रम के लिए प्रोत्साहित करेंगी ।

• अपने उत्पादों को बेचने के लिए SHG के लिए बेहतर विपणन सुविधाएं प्रदान करने के लिए, जिला स्तरीय महिला समिति केंद्र, पर्यटन विभाग, मंदिर ट्रस्ट और ग्रामीण विभाग की मदद से हार्ट / सेल केंद्र, स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाएगी और औद्योगिक विभाग के माध्यम से विपणन मंच का निर्माण।

• आयुर्वेद विभाग के सहयोग से लड़कियों के कॉलेजों और आईटीआई में लड़कियों के लिए योग शिविर आयोजित किए जाएंगे।

• स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा गठित युवा स्वास्थ्य केंद्र के सहकर्मी शिक्षकों के माध्यम से लड़कियों की काउंसलिंग के लिए विशेष कक्षाएं आयोजित की जाएंगी ।

• सशक्त महिला केंद्र की गतिविधियों की निगरानी के लिए आईसीडीएस पर्यवेक्षक को 500/- प्रति माह रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा।

रणनीति:

A) **किशोरियां (11-18 वर्ष की आयु):-**

I. मासिक चक्र / स्वच्छता के बारे में किशोर लड़कियों के संवेदीकरण

II. स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से व्यक्तिगत स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए स्कूल की किशोरियों को सेनेटरी नैपकिन का वितरण और इस योजना के तहत एक पंचायत स्तर पर चरणबद्ध तरीके से या सशक्ती महिला केंद्रों में स्थापित करने के लिए वेंडिंग मशीनों को स्थापित किया जाना है।

Scanned by CamScanner

III. हर साल प्रत्येक जिले की तीन टॉपर लड़कियां जो हिमाचल प्रदेश के भीतर सरकारी संस्थानों से जैसे बी.ए ,बी.कॉम ,बी.बी.ए, एमबीबीएस, बी.ई. / बी.टेक मे नियमित पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं उन्हें वोकेशनल/ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने हेतु 5000 रुपये की एक मुश्त राशि लड़की के बिना किसी भी वर्ष मे असफल होने पर कोर्स पूरा होने तक दी जाएगी ।

B) 19-45 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएँ:-

इस योजना की शुरुआत के पहले वर्ष में, 19 से 45 वर्ष की महिलाएं, जिन्होंने कोई सामाजिक कार्य किया हो या महिलाओं को अपने स्थानीय क्षेत्र / गांव के बारे में ज्ञान हो या जो किसी तरह से महिलाओं से संबंधित मुद्दों से जुड़ी हों और जिनके बारे में जानकारी हो एक ICDS पर्यवेक्षक की देखरेख में पंचायत स्तर पर गठित किया जाएगा। ये महिलाएं संबंधित पर्यवेक्षक को उस मुद्दे के बारे में सूचित करेंगी जिस पर उन्हें प्रशिक्षण / संवेदीकरण की आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, आयुर्वेद, तकनीकी शिक्षा, उद्योग, ESOMSA, कौशल विकास निगम, महिला विकास निगम, आईटी आदि विभिन्न विभागों की सहायता से पर्यवेक्षक उस क्षेत्र की महिलाओं द्वारा आवश्यक प्रशिक्षण का आयोजन करेगा। इन केंद्रों को बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ जोड़ा जाएगा ताकि वे अपने बैंक खाते खोल सकें, वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकें और अपने स्वयं के लघु उद्योग या कुछ आय सृजन गतिविधियाँ शुरू कर सकें।

Scanned by CamScanner

VI अभिसरण तंत्र:

विभाग / संगठनों के साथ मिलकर जिला, ब्लॉक / पंचायत / ग्राम स्तर पर "सशक्त महिला योजना" लागू की जाएगी:

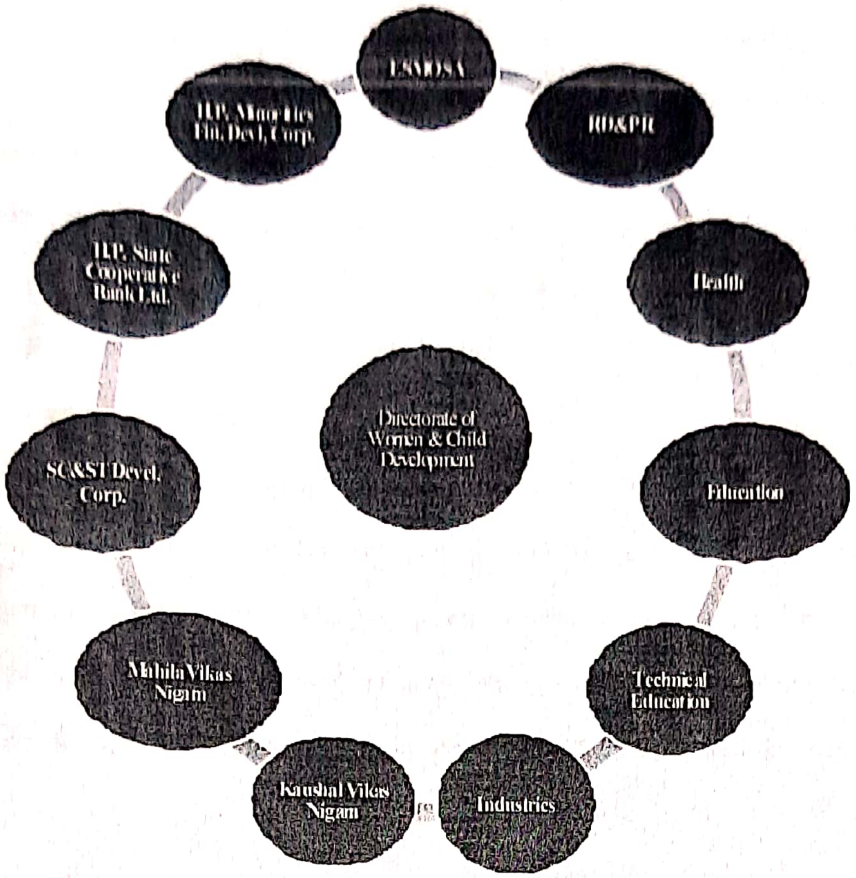

जिला स्तरीय टास्क फोर्स:

जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन संबंधित डीपीओ की अध्यक्षता में किया जाएगा जो पूरे जिले की गतिविधियों की निगरानी करेगा और मासिक रिपोर्ट उपायुक्त के साथ-साथ डब्ल्यूसीडी के निदेशालय को प्रस्तुत करेगा।

डीसी हर महीने / त्रैमासिक प्रगति की निगरानी करेगा।

Scanned by CamScanner

ब्लॉक लेवल टास्क फोर्स:

ब्लॉक लेवल टास्क फोर्स का गठन संबंधित सीडीपीओ की अध्यक्षता में किया जाएगा जो ब्लॉक स्तर पर की जा रही सभी गतिविधियों की निगरानी के लिए जिम्मेदार होंगे और संबंधित डीपीओ को उनके द्वारा मासिक रिपोर्ट सौंपी जाएगी।

पंचायत / ग्राम स्तर:

सशक्त महिला केंद्र पंचायत स्तर पर बनाए जाएंगे जो पंचायत स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटर (CSCs) के रूप में कार्य करेंगे। ग्राम पंचायत स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (AWW), मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ASHAs), सहायक नर्स मिडवाइफ (ANM), महिला SHG, महिला मंडल, निर्वाचित महिला प्रतिनिधि (EWRs) जैसे अभिसरण कार्यकर्ताओं के साथ सेवा प्रदान की जाएगी। अधिकारी आदि प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम एसएमवाई योजना के हिस्से के रूप में किए जाएंगे।

जिला स्तरीय सशक्त महिला समिति:

निम्नलिखित अधिकारियों की एक जिला स्तरीय सशक्त महिला समिति का गठन (i) संभावित एसएचजी के चयन के लिए किया जाएगा, जिनके लिए एक समय का बीज धन उपलब्ध कराना है; (ii) टॉपर लड़कियों के चयन के लिए जिन्हें उच्च अध्ययन के लिए एक बार अनुदान दिया जाना है; (iii) अपने उत्पादों को बेचने के लिए स्वयं सहायता समूहों को बाजार सुविधाओं की संभावनाओं का पता लगाने के लिए; (iv) केंद्र के कामकाज की निगरानी और समीक्षा और (v) इन केंद्रों के उचित कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम / कार्य।

• उपायुक्त	अध्यक्ष
• परियोजना अधिकारी डीआरडीए	सदस्य
• मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
• जिला पंचायत अधिकारी	सदस्य
• उपनिर्देशक, उच्च शिक्षा (उच्चतर)	सदस्य
• उप-शिक्षक, उच्च शिक्षा (प्राथमिक)	सदस्य
• डीएम नाबार्ड	सदस्य
• महाप्रबंधक, डीआईसी	सदस्य
• जिला प्रबंधक, महिला विकास निगम	सदस्य

Scanned by CamScanner

- जिला भाषा अधिकारी — सदस्य
- जिले के सी.डी.पी.ओ. हेड क्वार्टर ब्लॉक — सदस्य
- जिला कार्यक्रम अधिकारी — सदस्य सचिव

- **कार्यान्वयन एजेंसी / विभाग:**

महिला और बाल विकास विभाग हिमाचल प्रदेश इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तर पर जिम्मेदार होगा। जिला स्तर पर डीपीओ नोडल अधिकारी होंगे और ब्लॉक स्तर पर सीडीपीओ सशक्त महिला योजना के अभिसरण और कार्यान्वयन के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। हालांकि, सभी स्तरों पर अंतर विभागीय समन्वय योजना की सफलता के लिए एक आवश्यक घटक है। स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम और रोजगार, पर्यटन, ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा और पुलिस विभागों के विभिन्न योजनाओं / कार्यक्रमों के साथ सेवाओं का कन्वर्जन योजना के बेहतर क्रियान्वयन में सहायक होगा।

- **निगरानी तंत्र**

स्टेट, जिला, परियोजना और पंचायत स्तरों पर ICDS योजना के तहत निगरानी और पर्यवेक्षण तंत्र सेटअप का उपयोग इस योजना के लिए भी किया जाएगा। परियोजना, जिला और राज्य स्तरों पर गठित ये समितियाँ इस योजना के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण करेंगी। इस योजना के बारे में प्रसार और जागरूकता सृजन के लिए ग्राम सभा के मंच का भी उपयोग किया जाएगा।

IX. Budget provision:

S.No.	Name of the post	No.	Expenditure (Rs)	Annual Budget (Lakh)
1.	Awareness generation camps to be organised at panchayat level on quarterly basis @1000 per camp	3236	3236x4x1000	129.44
2.	Skill Training and Capacity Building of one SHG from each ICDS block in each month @10000	78	78x10000x12	93.60
3.	Incentive to Circle supervisors for facilitation work @ 500 p/m	757	757x500x12	45.42

Scanned by CamScanner

4	One time grant to 3 girls from rural area pursuing professional courses like MBBS, BAMS, LLB, BCA, MCA, MBA, Hotel Management, B Tech. etc. courses from govt. @5000 per annum for three to four years.	12	3x12x5000x4	7.20
5.	One time seed money to progressive SHGs one from each ICDS block @ 50,000 per bock	78	78x50000	39.00
6.	Contingency/recurring expenses @ 20000 per block per district/per district	90	90x20000	18.00
7.	Meeting/workshop/orientation/monitoring/misc. expenses	20000	12X12X20000	28.80
8.	Flexi Fund @ 2%			8.55
	Total			**370.01**

(Rs. Three Core Seventy lakh twenty one thousand only)

अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र /पर्यवेक्षक /सशक्त महिला अधिकारी / संबधित बाल विकास परियोजना अधिकारी /जिला कार्यक्रम अधिकारी से सम्पर्क के सकते हैं ।

जारीकर्ता

निदेशालय महिला एवं बाल विकास , हिमाचल प्रदेश

Website: www.wcdhp.nic.in

Scanned by CamScanner